राजस्थान–सरकार
कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग

एफ 13(51)कार्मिक/क–1/गो0प्र0/08 जयपुर, दिनांक 12–04–2010

परिपत्र

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 5.6.08 के द्वारा राज्य सेवकों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जाने हेतू कार्य मूल्यांकन अनुदेश 2008 जारी किये गये थे । इन अनुदेशों के अनुदेश–7 द्वारा संभागीय/जिला स्तरीय राज्य सेवकों के लिए नये कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपत्र–I अन्य राज्य सेवा अधिकारियों के लिए प्रपत्र-II एवं अधीनस्थ सेवा अधिकारियों/मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिये प्रपत्र–3 निर्धारित कर वर्ष 2008–09 एवं इससे आगे की अवधि के लिए प्रतिवेदन इन्हीं प्रपत्रों में भर कर भिजवाने के निर्देश दिये गये थे ।

लेकिन ये देखने में आया कि राज्य सेवा के कुछ अधिकारियों की ओर से वर्ष 2008–09 के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन इस विभाग द्वारा निर्धारित उक्त प्रपत्रों में प्राप्त नहीं हो कर पुराने प्रपत्रों में ही प्राप्त हो रहे है । अतः समस्त प्रमुख शासन सचिव,/शासन सचिव विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि कृपया राज्य सेवा/अधीनस्थ सेवा के कर्मिकों के उक्त निर्धारित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपत्रों में ही भरकर भिजवाये जावें ।

ह0/–
प्रमुख शासन सचिव

---

राजस्थान–सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान,जयपुर ।

कमांकः–राजप/डीपीसी/एसीआर/2010/ 130 दिनांकः– 23.2.10

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक (प0क0)/एड्स/ई0एस0आई0, चिकि0 एवं स्वा0 सेवायें, राज0 जयपुर ।
2. परियोजना निदेशक, आर0एस0एच0डी0पी0/एन0आर0एच0एम0, जयपुर ।
3. समस्त प्रधानाचार्य,मेडिकल कॉलेज एवं नियंत्रक, सम्बद्ध चिकित्सालय समूह ।
4. औषधि नियंत्रक (प्रथम एवं द्वितीय) चिकि0 एवं स्वा0 निदेशालय,राज0 जयपुर ।
5. अतिरिक्त परियोजना निदेशक, एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, निदेशालय ।
6. निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई,राजस्थान,जयपुर ।
7. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय ।
8. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह राजस्थान ।
9. प्रधानाचार्य, डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी, जयपुर।
10. मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राजस्थान,जयपुर।
11. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की वेबसाईट पर डाउनलोड किये जाने व समस्त संबंधित को ई–मेल कियेजाने हेतु ।
12. आदेश/रक्षित पत्रावली ।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान,
जयपुर ।